

राजस्थान सरकार  
परिवहन विभाग

क्रमांक:— प.6(96)परि/कर/मु./10/३२९८

जयपुर, दिनांक:—२४/१२/१९

अधिसूचना

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार, यह राय रखते हुये कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन है एतद् द्वारा केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 88 (8) के अन्तर्गत जारी अनुज्ञापत्रों पर 01.03.2019 से 20.03.2019 की अवधि में अन्य राज्यों से अजमेर शहर को आने/जाने वाले समस्त यात्री वाहनों के लिये 6,500/- रुपये से अधिक उन करों का परिहार करती है जो राजस्थान कराधान अधिनियम, 1951 के प्रावधानों के अन्तर्गत उपरोक्त श्रेणी के वाहनों पर देय है।

राज्यपाल के आदेश से,


  
(महेन्द्र कुमार खण्डी)  
शासन संयुक्त सचिव

क्रमांक:— प.6(96)परि/कर/मु./10/३२९९-३३१३

जयपुर, दिनांक:—२४/१२/१९

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक २८.०२.२०१९में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित अंक की प्रति इस विभाग को भिजवाने हेतु।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
4. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन राज्य मंत्री राज्य मंत्री।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, परिवहन राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि, राजस्थान, जयपुर।
8. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव।
9. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
10. समस्त मुख्यालय अधिकारी, परिवहन विभाग, जयपुर।
11. श्री संजय सिंघल, SA को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
12. समस्त प्रादेशिक/अतिरिक्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी।
13. समस्त प्रभारी, कर संग्रह केन्द्र, परिवहन विभाग, राजस्थान।
14. रक्षित पत्रावली।

  
शासन संयुक्त सचिव